रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1853] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2014/भाद्र 25, 1936
No. 1853] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2014/BHADRA 25, 1936

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2014

का. आ. 2370 (अ) .—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला न्यायालय को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2155 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्र हरियाणा का पूरा राज्य था;

और जबकि, श्री राजेश गर्ग, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, जिन्हें दिनांक 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 8 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1404 (अ) के उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है।

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 28 मई, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशित दिनांक 8 मई, 2014 की अधिसूचना सं.का.आ.1404 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व संपादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर श्री रवि कुमार सोंधी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकुला, को एतद्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV (पार्ट-I)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2014

S. O. 2370 (E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had notified, vide notification number S. O. 2155 (E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Panchkula as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Haryana for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Rajesh Garg, Senior Most Additional Sessions Judge, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S. O. 1404 (E), dated 8th May, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th May, 2014, has been transferred.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number 1404 (E), dated 8th May, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th May, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, hereby appoints Shri Ravi Kumar Sondhi, District and Sessions Judge, Panchkula, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Part-1)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054